😂 HAPUR POLICE 🎑



प्रेस नोट

थाना - गढमुक्तेश्वर दिनांक 17-01-2025

थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस ने अवैध पशु कटान करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भैंस प्रजाति का मांस व पशु कटान करने के उपकरण बरामद।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध पशु कटान करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अवैध पशु कटान करने वाले 02 अभियुक्तों को ग्राम बदरखा से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भैंस प्रजाति का मांस व पशु कटान करने के उपकरण बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. नौशाद पुत्र इकराम निवासी ग्राम बैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

2. अलीशान पुत्र इकराम निवासी ग्राम बैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरणः-

1. भैंस प्रजाति का करीब 180 किलोग्राम मांस।

3. पशु कटान के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 26/25 धारा 325 बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2- मु0अ0सं0 91/23 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

3- मु0अ0सं0 05/15 धारा 307,324 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

4- मु0अ0सं0 95/19 धारा 308,323,452,504,506 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

5- मु0अ0सं0 274/17 धारा 147,323,354,354ख, 452 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

6- मु0अ0सं0 354/23 धारा 429 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त अलीशान का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 26/25 धारा 325 बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2- मु0अ0सं0 91/23 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।

3- मु0अ0सं0 589/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 2. उ0नि0यूटी श्री गौरव कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 3. है0का0 634 सुधीर कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 4. का० 495 सुरेन्द्र कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।